

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1, मुरादाबाद।

वाद संख्या-

धारा-34 पुलिस एक्ट,

दिनांक-10.02.2018

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर निम्न आदेश पारित किया गया।

आदेश

अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसको 10/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। अर्थदण्ड अदा किया गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-1, मुरादाबाद।